रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 240] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 23, 1986/कार्तिक 1, 1908

No. 240] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 23, 1986/KARTIKA 1, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 1986

अधिसूचना

विषय:—विभिन्न क्षेत्रों में जूट के अनिवार्य उपयोग की रूपरेखा निर्धारित करने के लिए अधिकार प्राप्त समिति का गठन ।

सं. 7/2/86-जूट.—सरकार, जूट उद्योग को संरक्षण प्रदान करने के लिए और जूट के सामान विशेषत: जूट पैकेजिंग सामग्री के लिए मांग में वृद्धि करने के लिए विभिन्न उपायों पर विचार करती रही है। इस प्रस्ताव के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद अब यह निर्णय किया गया है कि जूट उद्योग को बेहतर समर्थन ऐसे विनियमों के जरिए दिया जा सकता है जिनके अन्तर्गत कतिपय विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए जूट पैकेजिंग सामग्री के प्रयोग को अनिवार्य बनाया जाए । यह भी निर्णय किया गया कि विभिन्न क्षेत्रों में जूट उद्योग के अनिवार्य प्रयोग की रूप-रेखा निर्धारित करने के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाए ।

2. तदनुसार, एक अधिकार प्राप्त समिति एतद्द्वारा निम्नलिखित अनुसार गठित की जाती है :—

1. सचिव, वस्त्र मंत्रालय	अध्यक्ष
2. सचिव, व्यय विभाग	सदस्य
3. सचिव, औद्योगिक विकास विभाग	सदस्य,
4. सचिव, लोक उद्यम विभाग	”
5. सचिव, खाद्य विभाग	”
6. सचिव, नागरिक आपूर्ति विभाग	”
7. सचिव, उर्वरक विभाग	”
8. सचिव, रसायन तथा पैट्रो-रसायन विभाग	”
9. अपर सचिव, पूर्ति विभाग	”
10. जूट आयुक्त, कलकत्ता	”
11. संयुक्त सचिव, वस्त्र मंत्रालय में जूट के कार्य से संबंधित ।	”

3. समिति के अध्यक्ष यदि आवश्यक हो, तो अतिरिक्त सदस्य सहयोजित कर सकेंगे ।

4. अधिकार प्राप्त समिति अपनी सिफारिशों को एक महीने की अवधि के अन्दर अन्तिम रूप देगी ।

5. वस्त्र मंत्रालय (जूट प्रभाग) आवश्यक सचिवालय सहायता प्रदान करेगा ।

शिरोमणि शर्मा, सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 9th October, 1986

NOTIFICATION

Subject :—Constitution of an Empowered Committee to work out mandatory usage of jute in various sectors.

No. 7|2|86-Jute.—Government have been considering for quite some time various measures to protect jute industry and increase the demand for jute goods particularly for jute packaging material. After considering all aspects of the proposal it has now been decided that support to jute industry could best be extended through regulations making the use of jute packaging material mandatory for certain specified sectors. It was also decided to constitute an Empowered Committee to work out mandatory usage of jute industry in various sectors.

2. Accordingly, an Empowered Committee is hereby constituted as follows :

1. Secretary, Ministry of Textiles .. Chairman
2. Secretary, Deptt. of Expenditure. .. Member
3. Secretary, Deptt. of Industrial Development. .. Member
4. Secretary, Deptt. of Public Enterprises. .. Member
5. Secretary, Deptt. of Food. .. Member
6. Secretary, Deptt. of Civil Supplies .. Member
7. Secretary, Deptt. of Fertilisers. .. Member
8. Secretary, Deptt. of Chemical and Petro-chemicals. .. Member
9. Additional Secretary, Deptt. of Supply. .. Member
10. Jute Commissioner, Calcutta. .. Member
11. Joint Secretary, dealing with jute in the Ministry of Textiles. .. Member

3. Chairman of the Committee could co-opt further members, if necessary.

4. The Empowered Committee will finalise its recommendations within a period of one month.

5. Ministry of Textiles (Jute Division) will provide necessary secretarial assistance.

SHIROMANI SHARMA, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054 1986